



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102021-230120
CG-DL-E-01102021-230120

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3722]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 1, 2021/ आश्विन 9, 1943

No. 3722]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 1, 2021/ASVINA 9, 1943

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4056(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, कलेक्ट्रेट भवन, गोड्डा (NH333A) के कि.मी 12.400 से 42.200 झारखंड राज्य के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

झारखंड राज्य के गोड्डा जिला में कि.मी १२.४०० से कि.मी. ४२.२०० तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH333A पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्जीजीशन अफसरए, गोड्डा	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH333A के कि.मी. 12.4 से 42.2 तक	झारखंड	गोड्डा	जमनी हरनापार	1 भतडीहा
						2 सरकंडा
						3 पथरा
						4 पंदाहा
						5 जमनी पहाड़पुर
						6 घाट जमनी
						7 लक्ष्मी
						8 घाट जोगनाडीह
						9 दलदली
						10 लेंगड़ाडीह
11 सुन्दरमोर						
					धमसाँय	1 जमुआ
					दियारा	1 बिलारी
					बेलबथान	1 बंका घाट
				2 निपनियाँ		
					दामिन बंगला सुन्दरपहाड़ी	1 तेतरिया
						2 टेशोवथान
						☐ तिलाबाद
						4 सुन्दरपहाड़ी
						5 सलपथरा

						6 बड़ा जोलो
						7 मानिकबथान
						8 धौपहाड़ी
						9 लादापाथर
					दामिन बंगला चन्दना-II	1 साहपी
						2 बड़ा सिन्दरी

[फा. सं. RW/Ranchi/LA/NH-333A/JHR/2021-22]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2021

S.O. 4056(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the **District Land Acquisition Officer, Godda** as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km 12.400 to Km 42.200 of National Highway No 333 relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for widening to 2 lane with paved shoulders of km. 12.400 to 42.200 on NH 333A of Godda District in the State of JHARKHAND.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH333A from Km. 12.400 to Km. 42.200 in the State of JHARKHAND.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	District Land Acquisition Officer, Godda	12.4KM To 42.2KM	JHARKHAND	Godda	Jamni Harnapar	1 Bhatdiha 2 Sarkanda 3 Pathra 4 Pandaha 5 Jamni Paharpur 6 Ghat Jamni 7 Lakshmi 8 Ghat Jognadih 9 Daldali 10 Langradih 11 Sundarmor
					Dhamsain	1 Jamua

					Diyara	1	Bilari
					Belbathan	1	Banka Ghat
						2	Nipaniya
					Damin Bangla Sundarpahari	1	Tetariya
						2	Teshobathan
						3	Tilabad
						4	Sundarpahari
						5	Salpathra
						6	Bara Jolo
						7	Manikbathan
						8	Dhaupahari
						9	Ladapathar
					Damin Bangla Chandna II	1	Sahapi
						2	Bara Sindri

[F. No. RW/Ranchi/LA/NH-333A/JHR/2021-22]

RAJESH GUPTA, Director